(22)

राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

प्र.क्रमांक R. 1170-तीन/14

1- श्रीमती कंचन देवी पुत्री स्व. रामबहोर यादव

2- श्रीमती राजकुमारी पुत्री स्व. रामबहोर यादव

3- श्रीमती अर्चना देवी पुत्री स्व. रामबहोर यादव

4- श्रीमती श्यामादेवी पुत्री स्व. रामबहोर यादव

सभी निवासी ग्राम हनुमना, तहसील हनुमना, जिलारीवा, म0प्र0,

--- निगरानीकर्तागण

प्र.क्र. निगरानी ..एड.. के रूप में आज दिनांक..25-3-14 को दर्ज किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

बनाम

1- राधेश्याम गुप्ता तनय स्व. कौशल लाल गुप्ता, निवासी हनुमना, तहसील हनुमना, जिलारीवा, म.प्र.,

2- शासन म0प्र0 --

------गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के राजस्व प्रकरण क्र. 1323/अपील/12-13, पारित आदेश दिनांक 10-2-14 को निरस्त किये जाने ।

================================

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई. ।

================================

OC
7-4-14

कं-चन्द्रदेवी/ राधेश्याम (२९१)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक :1170/III/2014 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
9.7.2014	यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग,रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 1323/12-13 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 10-2-14 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक को ग्राह्यता पर सुना । उन्होंने बताया कि विवादित भूमि कमांक 191/1 क रकबा 0.073 है. के अंश रकबा में 0.006 है. विकय पत्र के आधार पर नामान्तरण आवेदन विचारण न्यायालय में अनावेदक ने पेश किया है जबकि मूल नंबर वर्तमान समय में शासकीय खसरे में मौजूद नहीं है। विकल्प में बटवारा प्रकरण मान. राजस्व मण्डल में कमांक आर-396/3/11 चल रहा है जिसमें पेशी 24-4-14 है एंव व्यवहार न्यायालय में स्वत्व घोषणा का प्रकरण लंबित है जिसके कारण अपर आयुक्त के समक्ष कार्यवाही स्थगित किये जाने की प्रार्थना की गई थी, फिर भी उन्होंने कार्यवाही स्थगित नहीं की है इसलिये निगरानी सुनवाई में ली जाकर अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख प्राप्त किया जावे।	

R. 1170-तीन/14

3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त के अंतरिम आदेश दिनांक 10.2.14 के अवलोकन से पाया गया कि अपीलांट्स व्दारा वरिष्ठ न्यायालय से अथवा व्यवहार न्यायालय से स्थगन प्राप्त प्रस्तुत नहीं किया है जिसके कारण उन्होंने कार्यवाही नहीं रोकी है क्योंकि संहिता की धारा 44 (2) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्व अपील सुनने की अधिकारिता आयुक्त/अपर आयुक्त को है, जिसके कारण अपर आयुक्त ने आवेदकगण का आपत्ति आवेदन अमान्य करते हुये प्रकरण तर्क हेतु नियत किया है। वैसे भी आवेदकगण को तर्को के दौरान अपर आयुक्त, रीवा संभाग के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उपचार प्राप्त है, जिसके कारण निगरानी में आवेदकगण को किसी प्रकार का अनुतोष देना संभव नहीं है।

4/ उक्त कारणों से निगरानी सारहीन पाये जाने से अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

सदस्य